

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक : एफ 12-12 2010/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 28 मई, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त, कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषय :- न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को मानदेय।

-----0-----

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के प्रावधानों के तहत माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में शासन के द्वारा/विरुद्ध, दायर याचिकाओं/वादों में उक्त नियमावली में वर्णित कर्तव्यों के निष्पादन हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को संबंधित शासकीय अभिभाषक, विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं मंत्रालय आदि के सतत संपर्क में रहते हुए अपने कर्तव्यों का समयावधि में निष्पादन करना पड़ता है। इन शासकीय सेवकों द्वारा उनको इस प्रकार सौंपे गये प्रभारी अधिकारियों के दायित्वों का निर्वहन उनको सौंपे गये चालू कार्यालयीन दायित्वों के अतिरिक्त करना पड़ता है। इस अतिरिक्त कार्य हेतु शासकीय सेवकों को वर्तमान में कोई मानदेय देय नहीं है।

2/ प्रभारी अधिकारियों द्वारा शासन के हित को संरक्षित करने हेतु अतिरिक्त रूप से किए जा रहे इस महत्वपूर्ण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने प्रभारी अधिकारियों हेतु निम्नलिखित दरों पर मानदेय स्वीकृत करने का

1/2/11

निर्णय लिया है:-

स.क्र.	विवरण	मानदेय की दर (प्रति प्रकरण)
1.	उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण के लिए	रूपये 1000/-
2	उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण के लिए	रूपये 1500/-

3/ उक्त मानदेय निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन देय होगा :-

1. यह मानदेय उसी अधिकारी को देय होगा, जिसके द्वारा यह कार्य अपने चालू कार्यालयीन दायित्वों के अतिरिक्त रूप से किया जा रहा है।
2. उक्त मानदेय भुगतान की पात्रता प्रकरण के प्रारंभ से लेकर निर्णय पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु विधिक परामर्श तक के लिए होगी। उक्त प्रक्रिया के मध्य प्रभारी अधिकारी के बदलने पर मानदेय प्रकरण के स्टेज के आधार पर निम्नानुसार देय होगा:-
 1. जवाबदावा प्रस्तुत करने की कार्यवाही तक - 50 प्रतिशत
 2. जवाबदावा प्रस्तुत करने के उपरांत निर्णय तक- 30 प्रतिशत
 3. निर्णय उपरांत की कार्यवाही के लिए - 20 प्रतिशत
3. ऐसे प्रकरणों, जो विषयवस्तु में समान हैं तथा जिनके लिए एक ही अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी को अधिकतम दो प्रकरणों के लिए ही मानदेय देय होगा।
4. किसी भी प्रभारी अधिकारी को इस प्रकार देय मानदेय की अधिकतम प्रतिमाह सीमा रूपये 10,000/- होगी।
5. उक्त मानदेय संबंधित शासकीय सेवक के वेतन मद से विकलनीय होगा।

4/ यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अश्विनी कुमार राय)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग